सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-382/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 19 सितम्बर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-सिधारी

प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना फॉर्म पर लोगो के अगूंठे का छाप लेकर उसकी बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिये AEPS के माध्यम से जनता के खातों से लाखों रुपये उड़ाने वाला 02 साइबर अभियुक्त गिरफ्तार, बने हुए क्लोन फिंगरप्रिंट एवं बनाने के उपकरण बरामद

दिनांक- 16.09.2020 को श्री सुजीत यादव एवं ग्राम विहरोजपुर आजमगढ़ के कई अन्य लोगो द्वारा थाना सिधारी पर शिकायत दर्ज करायी गयी कि उनके बैंक खातो से विभिन्न तिथियों में आधार कार्ड के माध्यम से साइबर अपराधियों द्वारा लाखों रूपये निकाल लिए गये है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 152/20 धारा 419, 420 भादवि 66सी/66डी आईटी एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अपराध श्री सुधीर जायसवाल के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक सिधारी व साईबर सेल को घटना के अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। घटना के अनावरण में लगी टीमों द्वारा साक्ष्य विकसित करने पर पता चला कि यह अपराध बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरियें AEPS के माध्यम से किया गया है। विवेचना के दौरान अभियुक्त 1- राकेश कुमार पुत्र बसन्तु निवासी ग्राम खुरसो थाना फूलपुर आज़मगढ़ 2- आदित्य कुमार जिज्ञासु पुत्र जगदीश चंद निवासी हरवंसपुर थाना सिधारी आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया जिन्हे प्रभारी निरीक्षक सिधारी श्री अंशुमान यदुवंशी मय टीम एवं प्रभारी साइबर सेल मनीष सिंह द्वारा आज दिनांक 19.09.2020 को समय रात 01.50 am बजे हरवंशपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। जिन्हे विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त गण से गहनता से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य सामने आया कि यह लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के नाम पर गाँव में जाते है और उसका लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से आधार कार्ड एवं अन्य डिटेल लेकर एक अंगूठे की छाप ले लेते है। फिर उसी अंगुठे की निशान को बटर पेपर पर स्कैन कर लेते है उसके बाद बटर पेपर को रबर पर रखकर थंब इम्प्रेशन मशीने के माध्यम से इम्प्रेश करते है जिससे उस अंगूठे का निशान रबर या पॉलीमर पर आ जाता है और उस व्यक्ति के अंगूठे का क्लोन फिंगरप्रिंट तैयार हो जाता है। उसके बाद AEPS बैंकिंग आईडी (इको पे) से क्लोन फिंगरप्रिंट के माध्यम से आधार कार्ड से लिंक बैंक खातो से रुपये निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम कई लोगो का फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर बैंकिंग धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ कमाते हैं।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0स0- 152/20 धारा 419, 420 भादवि 66सी/66डी आईटी थाना सिधारी, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1- राकेश कुमार पुत्र बसन्तु निवासी ग्राम खुरसो थाना फूलपुर आज़मगढ़

2- आदित्य कुमार जिज्ञासु पुत्र जगदीश चंद निवासी हरवंसपुर थाना सिधारी आजमगढ़

बरामदगी

1-प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना फॉर्म- 10 अदद

2-बटर पेपर- 02 अदद

3-बने हुए क्लोन फिंगरप्रिंट-02 अदद

4-रबर के टुकड़े

5-फिंगर थम्ब इम्प्रेशन मशीन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक सिधारी श्री अंशुमान यदुवंशी मय हमराह थाना-सिधारी आजमगढ़।
2. उ0नि0 श्री आर0पी0 सिंह, थाना सिधारी, आजमगढ़।
3. का0 मनीष सिंह व का0 सत्येंद्र यादव साइबर सेल आज़मगढ़,